

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० १०७/न० ३० वि०

दिनांक ०८/६/११.....

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल ३० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ के अन्तर्गत दी जाती है।
किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिखित प्रभाव के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिवर्णनों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/ श्री केवल रखला ५० एकड़ाकृदास्ता
श्री भोजित रखला घुड़ श्री केवल रखला ५० एकड़ाकृदास्ता
... एकड़ाकृदास्ता घुड़ श्री राजन रखला ५० एकड़ाकृदास्ता
पिता/पति का नाम श्री आराजी संख्या ८०। मौजा १९ व्युत्कृ
वाह ८११६/१२ नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के विनिष्ट भवन
विवर अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक २०



गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

४/८/८१/११

नोट : १- यह स्वीकृति पत्र केवल ५ वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आजानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यवहार का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

२. इस अनुमति पत्र में सइक, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति दी जावे तो उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा २९३ के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

३. मकान निर्माण से यदि नाली सइक की पटरी अथवा सइक या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

४. गृह निर्माण के समय इसका भी सूचना रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम १९७३ (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रल्स के नियम १९७०) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

५. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् १५ दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

६. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

७. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विद्यंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तों :-

1. आपको स्थल पर प्रति हेकटेयर की दर से 50 पेड़ लगाना होगा।
2. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
3. आपको मुख्य अभिनशमन अधिकारी के पत्र दि 01.03.11 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
4. आपको भवन पर सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था मानक के अनुसार स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।
5. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग /उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
6. भू-स्वामित्व एवं रास्ते से सम्बन्धित कोई विवाद/तथ्य उजागर होता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक एवं बिल्डर की होगी एवं मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. आप द्वारा मानचित्र में दर्शित सङ्क विस्तार हेतु आवश्यक भूमि छोड़कर निर्माण करना होगा।
8. शासनादेश सं0-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शासनादेश सं0-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार भूकम्परोधी ज्वदस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
9. भवन में ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
10. कूड़ा संचयन व निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

५८६॥
नगर अभियवता (भवन)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।